

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(₹ करोड़)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	जून 2023 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	नीलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	10275	1014	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2296	4	0	1250
3	असम	5637	79	0	0
4	बिहार	8305	-	0	0
5	छत्तीसगढ़	6536	5	1	3800
6	गोवा	846	408	0	0
7	गुजरात	10968	595	0	17000
8	हरियाणा	1814	1514	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	0	0
10	जम्मू और कश्मीर यूटी	-	-	0	0
11	झारखंड	1604	-	0	0
12	कर्नाटक	14414	322	0	38677
13	केरल	2723	-	0	0
14	मध्य प्रदेश	-	1138	0	0
15	महाराष्ट्र	59441	1252	0	4000
16	मणिपुर	62	125	0	0
17	मेघालय	1052	83	8	0
18	मिज़ोरम	378	44	0	0
19	नगालैंड	1586	41	0	0
20	उड़ीसा	16217	1817	104	22023
21	पुदुचेरी	480	-	0	1250
22	पंजाब	7034	0	0	0
23	राजस्थान	-	-	129	12900
24	तमिलनाडु	8299	-	0	2676
25	तेलंगाना	7029	1533	0	0
26	त्रिपुरा	998	21	0	1025
27	उत्तराखंड	4478	189	0	0
28	उत्तर प्रदेश	5856	-	89	0
29	पश्चिम बंगाल	11399	827	239	0
	कुल	189728	11010	570	104601

टिप्पणियाँ: 1. सीएसएफ और जीआरएफ कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गई आरक्षित निधियां हैं।

2. एटीबी में प्राथमिक बाजार में राज्य सरकारों द्वारा निवेश किए गए 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के खजाना बिल शामिल हैं।

3. - : लागू नहीं (योजना का सदस्य नहीं)।